कार्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण

(प्रशासनिक शाखा)

Email-Id- Deosaran.edn@gmail.com
Mobile-no- +918544411907

पत्रांक 1661

सेवा में,

श्री शैलेश प्रसाद, निम्न वर्गीय लिपिक
कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी
(स्थापना संभाग) सारण।

छपरा, दिनांक 13.08. 2026

विषयः– स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, शमसुदौला सिद्धीकी, ग्राम– नवीगंज पो0– नगरा जिला– सारण द्वारा अपने पिता– स्व0 अब्दुल खालिक, पूर्व शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानपुर उर्दू अंचल– नगरा, सारण के 01.01.1971 से 31.03.1973 कुल 27 माह के अंतर वेतन भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, सारण को आवेदन पत्र देकर अवगत कराया गया है कि उनके पिता का अंतर वेतन बकाया भुगतान अबतक नहीं हुआ है। सिद्धीकी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण के जनता दरबार में दिनांक 16.03.2026 को उक्त आशय् का आवेदन पत्र दिया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सुनवाई के क्रम में पृच्छा करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑनबोर्डिग नहीं होने की बात जिला पदाधिकारी महोदय को बतायी गई। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में 04 माह पूर्व ऑनबोर्डिंग हो जाने की बात कही गयी है, बावजूद अबतक अंतर वेतन बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा अबतक भुगतान नहीं होने के लिए आपको दोषी ठहराते हुए आपके विरूद्ध उचित अनुाासनिक/कानूनी कार्रवाई करते हुए भुगतान करने का अनुरोध जिला पदाधिकारी से किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र पर जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आपसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पृष्टांकित आदेश दिया गया है।

अतः निदेश है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर उक्त बिन्दु/आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटा के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण, छपरा

13/08/26

13/8/26